

फर्द अटकाम

बनाम

निर्णय आदेश नं. 05/5/2006

225/2005

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
----------------------	-------------

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी जैण्ड

होल्डर तहसीलदार कोटपुलली की ओर से पैरोकार सरकार

(नायब तहसीलदार कोटपुलली) ने उपस्थित होकर प्रहनात

प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय

उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट

पिटीशन नम्बर 3374/2005 व उनवानी छोर्ट एवं अन्य बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित

निर्णय के परिपेक्ष में इस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजी से

सम्बन्धित मू-आवटन आदेश मन्सूख हो गया है। अतः प्रकरण

का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की

छया प्रति आदि रिपोर्ट प्रस्तुतवाजाते पेश किये।

इसन पैरोकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिपोर्ट शाहदत का

अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर

रेस्पॉन्डेंट्स की मू-आवटन सलाहकार समिति के द्वारा कृषि

प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवादित भूमि का आवंटित

मू-आवटन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर

किया है। अब अपीलार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने उक्त

विवादित भूमि से सम्बन्धित रेस्पॉन्डेंट्स के हक में किया गया

अलाटमेंट आदेश दिनांक 29/8/1978 माननीय उच्च

न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा रिटपिटीशन सं.

3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष

में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थीन

आवटन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही

मन्सूख हो गया है तो प्रहनात प्रकरण में किसी प्रकार की

अभिम कार्यवाही की जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता

है। अतः पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दखलान्त स्वीकार की

जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फौसल शूमार

होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकनील जाबा दाखिल

दिनांक को संदे इजलास सेनाया गया है।

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016

दिनांक को संदे इजलास सेनाया गया है।

आवेदन नं. 05/5/2006

आवेदन नं. 05/5/2006
कोटपुलली (जयपुर)